विभाग का नाम :—खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :— आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

अतांराकित प्रश्न संख्या :— 199—अतारांकित

दिनांकः— 28—02—2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :—श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :—

	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में मिलावटी दूध, सब्जी एवं फलों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,	दिल्ली में दूध, सब्जी एवं फलों में मिलावट में रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये जाते हैं:— 1. विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से दूध, सब्जी एवं फलों के नमूने समय—समय पर जॉच के लिए उठाए जाते है। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। 2. विभाग द्वारा दिल्ली में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकृत किया जा रहा है। उन्हें पंजीकरण/लाईसेंस निर्गत किया जा रहा है। 3. विभाग द्वारा समय—समय पर मिलावट के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।
ख)	मिलावट पर रोक लगाने के लिए निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2018—19 में किए गए चालानों की संख्या व इसके लिए आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों का विस्तृत विवरण क्या है,	विभाग द्वारा 2018—19 में अभी तक मिलावट से संबंधित कुल 130 मुकदमें दर्ज किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न है— एसीएमएम न्यायालय—41 एडीएम न्यायालय —89
ग)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने खादय सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की है, और	जी नहीं।
घ)	यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?	खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना का प्रावधान नहीं है। जबकि,खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार पहले से ही खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है।

गुरप्रीत

GURPREET SINGH
Administrative Officer